

विषय:- अधिवक्ता भवन ब्लाक-बी में अधिवक्ता चैम्बर की आवंटन समिति
द्वारा की गयी बैठक का कार्य-वृत्त

आज दिनांक 10-07-2025 को अपरान्ह सायंकाल 4:30 बजे ब्लाक-बी अधिवक्ता भवन में अधिवक्तागण को चैम्बर आवंटन के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के पत्र दिनांक 02-07-2025 द्वारा अधिवक्ता चैम्बर ब्लाक-बी में आवेदन हेतु तिथि सीमित समय के लिए विस्तारित हेतु प्रार्थना किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ के श्रीमान अध्यक्ष एवं सचिव के प्रार्थना-पत्र पर समिति द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात ब्लाक बी में आवेदन करने हेतु दिनांक 11-07-2025 से 25-07-2025 तक आवेदन-पत्र जमा करने के लिए नियत की जाती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक संख्या-688/इन्फ्रा सेल/इलाहाबाद दिनांकित 07-07-2017 के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक आवेदक/अधिवक्ता को मु0 5000/- (रु0- पांच हजार मात्र) सिक्योरिटी धनराशि के रूप में आवेदन-पत्र के साथ जमा किया जाना है तथा एक चैम्बर में न्यूनतम 06 अधिवक्ताओं को समायोजित करते हुए आवंटन किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश में यह प्रावधान है कि यदि कोई उक्त किरायेदार अधिवक्ता आवंटित चैम्बर को रिक्त करता है तो प्रत्याशित आवंटी अधिवक्ता को अपने आवेदन के सम्बन्ध में विचारण हेतु उक्त चैम्बर के मुख्य किरायेदार अधिवक्ता/सम्बन्धित चैम्बर के वरिष्ठतम अधिवक्ता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भविष्य में कोई दुरुहता की स्थिति उत्पन्न न हो इस हेतु अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियों को सत्यापित करते हुए एक चैम्बर हेतु 06 आवेदक/अधिवक्तागण के आवेदन-पत्र ग्रुप के रूप में अग्रसारित करें, जिससे कि आवंटन के उपरान्त ग्रुप बनाने में असुविधा न हो और किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुसार चैम्बर आवंटन हेतु निम्नलिखित आधारों पर विचार किया जायेगा-

- 1- आवेदक/अधिवक्ता प्रैक्टिस अवधि
- 2- पहले आओ पहले पाओ की नीति
- 3- अधिवक्ता का अच्छा आचरण
- 4- कुल निर्मित अधिवक्ता चैम्बर के 20 प्रतिशत चैम्बर महिला अधिवक्ताओं के लिए चिन्हांकित एवं आरक्षित किया जायेगा।

5- एक चैम्बर 06 अधिवक्ताओं को आवंटित किया जायेगा, जिसमें से वरिष्ठतम अधिवक्ता सम्बन्धित चैम्बर का मुख्य किरायेदार एवं अन्य अध्यासी अधिवक्ता उप किरायेदार होंगे।

जिन अधिवक्ताओं की आपराधिक वृत्ति है अथवा जिन अधिवक्ताओं को पूर्व से कोई स्थायी चैम्बर आवंटित है, उन्हें चैम्बर का आवंटन नहीं किया जायेगा।

अधिवक्ता चैम्बर के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा किसी आवंटी द्वारा स्वयं को आवंटित स्थान अथवा चैम्बर किसी अन्य को उप किरायेदारी में नहीं दिया जायेगा।

आवंटित चैम्बर की स्वच्छता सम्बन्धित आवंटी अधिवक्ताओं द्वारा बनायी रखी जायेगी, यदि कोई भी आवंटी अधिवक्ता, अधिवक्ता चैम्बर अथवा अधिवक्ता भवन में गन्दगी करता है तो जिला अधिवक्ता संघ द्वारा उसको जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने की धनराशि 30 प्र 0 अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा की जायेगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता चैम्बर आवंटन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवेदन-पत्र का प्रारूप निश्चित कर उसे निर्गत किया जाय, जिससे कि अधिवक्तागण अधिवक्ता चैम्बर हेतु आवेदन कर सके। आवेदन-पत्र का प्रारूप कार्य-वृत्त के साथ संलग्न है।

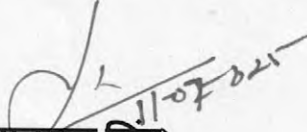
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी अधिवक्ता ब्लाक-बी में अपने चैम्बर आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं वह दिनांक 11-07-2025 से 25-07-2025 तक प्रत्येक कार्य-दिवस में सुबह 11:00 बजे से सायंकाल 4:00 बजे तक अपने आवेदन-पत्र निर्गत प्रारूप में भरकर केन्द्रीय नजारत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्र पर विचार नहीं जायेगा।

केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वे आवंटन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की सूची प्राप्त की तिथि, पंजीयन संख्या/ वर्ष तथा शुल्क भुगतान का विवरण अंकित करते हुए प्रभारी अधिकारी/नजारत के माध्यम से समिति के समक्ष मूल आवेदन-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

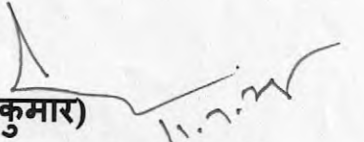
प्रत्येक आवेदक/अधिवक्ता डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से मु0 5000/- (रु0- पांच हजार मात्र) आवेदन-पत्र के साथ सिक्योरिटी धनराशि जमा करेंगे, जिसे कैश नाजिर पंजाब नेशनल बैंक, शाखा जनपद न्यायालय परिसर, इलाहाबाद के खाता संख्या- आईडी 6177001200000015 आईएनआर 617700 Allotment of Advocates Chambers Allahabad में जमा करेंगे।

सूचना तदनुसार निम्न को प्रेषित की जाये-

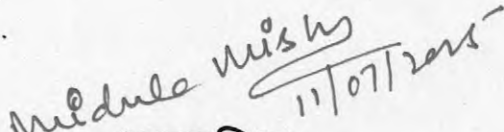
- 1-इस कार्य-वृत्त की प्रति आवेदन-पत्र के प्रारूप के साथ इस जजशिप के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।
- 2-इस कार्य-वृत्त की प्रति आवेदन-पत्र के प्रारूप के साथ केन्द्रीय नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय।
- 3-इस कार्य-वृत्त की प्रति आवेदन-पत्र के प्रारूप के साथ अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाय कि उक्त को समस्त अधिवक्तागण के मध्य सूचनार्थ परिचालित कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे इच्छुक अधिवक्तागण नियत तिथि तक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकें।


(मनराज सिंह)

सदस्य-अधिवक्ता कक्ष आवंटन समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
क 0 सं0-01 प्रयागराज।


(संजीव कुमार)

अध्यक्ष-अधिवक्ता कक्ष आवंटन समिति/
जनपद न्यायाधीश प्रयागराज।


(मृदुला मिश्रा)

सदस्य-अधिवक्ता कक्ष आवंटन समिति/
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी/एस.टी.एक्ट) प्रयागराज।

ब्लॉक -बी में तैयार अधिवक्ता चैम्बर के आवंटन हेतु आवेदनपत्र

सेवा में,

अध्यक्ष, ब्लॉक-बी में तैयार अधिवक्ता चैम्बर की आवंटन समिति, जनपद न्यायालय, प्रयागराज

1. नाम आवेदक अधिवक्ता :
(हिन्दी में)
2. नाम आवेदक अधिवक्ता :
(अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में)
3. पिता का नाम (हिन्दी में) :
4. पिता का नाम :
(अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में)
5. माता का नाम :
(हिन्दी में)
6. माता का नाम :
(अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स में)
7. पंजीयन संख्या एवं वर्ष तथा :
एडवोकेट रोल का इनरोल्मेंट नं०/
सीओपी(प्रेक्टिस प्रमाणपत्र की प्रति)
8. वर्तमान में न्यायालय परिसर :
में बैठने का स्थान
9. क्या पूर्व में आवेदक अधिवक्ता को :
कोई स्थायी चैम्बर आवंटित रहा
है? यदि हाँ तो उसका विवरण

आवेदक/अधिवक्ता
की नवीनतम रंगीन
पासपोर्ट साइज की
फोटोग्राफ

10. सिक्योरिटी मनी के रूप में आवेदनपत्र के साथ जमा की जाने :
वाली रुपये—5,000/— (पांच हजार मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट का
विवरण, जो बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सिविल कोर्ट
इलाहाबाद के A/c ID 6177001200000015 INR 617700 ALLOTMENT
OF ADVOCATES CHAMBERS ALLAHABAD में देय हो :

संलग्नकों का विवरण :-

1. इस आशय का रू.—10/—(दस) मूल्य का नोटरी शपथपत्र कि आवेदक अधिवक्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/शिकायत/पूर्व आपराधिक वृत्त नहीं रहा है।
 2. इस आशय का वचनपत्र/अण्डरटैकिंग कि आवेदक अधिवक्ता :-
क. चैंबर आवंटन के पश्चात् चैंबर में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ अथवा अस्थायी/स्थायी नवनिर्माण आवेदक/अधिवक्ता द्वारा न स्वयं किया जायेगा न ही किसी अन्य को करने दिया जायेगा।
ख. आवंटित चैंबर में आवेदक/अधिवक्ता द्वारा कोई समाज विरोधी क्रियाकलाप न स्वयं किया जायेगा और न ही किसी अन्य को करने दिया जायेगा।
ग. आवंटित चैंबर को आवेदक/अधिवक्ता द्वारा किरायेदारी पर नहीं दिया जायेगा।
घ. आवंटित चैंबर की सफाई की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यदि चैंबर में अव्यवस्था, गंदगी, पान की पीक आदि पायी जाती है तो जिला अधिवक्ता संप, इलाहाबाद द्वारा जुर्माना किया जा सकेगा।
ङ. सिविल कोर्ट परिसर में आवेदक/अधिवक्ता द्वारा पूर्व से बैठने के लिये अध्यासित स्थान यथा टीन शेड आदि को वह स्थायी चैम्बर का आवंटन स्वयं के पक्ष में होने पर अविलम्ब खाली कर देगा।
च. आवंटित चैंबर में किसी प्रकार से अवैध विद्युत संयोजन नहीं किया जायेगा एवं आवंटित अधिवक्ता द्वारा विद्युत संयोजन का देय बिल नियमित रूप से किया जायेगा।
- नोट प्रत्येक अभ्यर्थी के वर्तमान में न्यायालय परिसर में बैठने के स्थान का सत्यापन किया जायेगा, जो सत्यापित न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

दिनांक

आवेदक/अधिवक्ता के पठनीय हस्ताक्षर

सत्यापन/अवसारण अभ्युक्ति

आवेदक/अधिवक्ता का पूर्ण स्पष्ट नाम :

स्थान :

हस्ताक्षरित द्वारा अध्यक्ष/सचिव
जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद।

मोबाइल नम्बर :

:

अधिवक्ता संघ की मोहर